1	2	3
3	भारत का राजदूतावास, बर्न के 4 अधिकारियों के लिये आवास	दिसम्बर, 1993
4	ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र और भारतीय विद्यालय के लिये भवन	मई, 1993
5	भारत के राजदूत, के लिये आवास	दिसम्बर, 1993

ढाका में खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन 28 फरवरी, 1994 को हो गया था लेकिन शेष प्रस्तावों पर प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी, बजट तथा विधिक क्रियाविधियों को देखते हुए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जा रही है । उपर्युक्त मामलों पर कार्यवाही में जो समय लगेगा उसके कारण इन सम्पत्तियों की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार प्रक्रियाधीन निर्माण परियोजनाओं से संबंधित स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :—

1. भारत का राजदूतावास, रियाद में चांसरी, कार्यालय, राजदूत का आवास और 44 भारत स्थायी कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण, विलम्ब, यदि कोई हो के कारण लागत में वृद्धि रियाद निर्माण परियोजना को अधिक 47,189,413 सऊदी रियाल (12,568,928 अमरीकी डालर या 39,65,689 (रुपये के समतुल्य) की लागत से दिसम्बर, 1993 में दी गई । यह वृद्धि अमरीकी डालर में केवल 0.51% की है । अगस्त, 1986

2. भारत का राजदूतावास, अबुधाबी में चांसरी कार्यालय राजदूत के आवास का निर्माण । सितम्बर, 1989

3. पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर का आवास, भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास (कुल एकक 121) अप्रैल, 1993

4. मारीशस में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (फरवरी, 1994 में प्राप्त निर्माण के संशोधित क्षेत्र के आधार पर नए सिरे से अनुमोदन) जनवरी, 1990

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान वित्तीय दशाओं के कारण निर्माण परियोजनायें हाथ में नहीं ली गई । खाड़ी संकट के कारण रियाद तथा अबुधाबी में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ क्योंकि संविदाकारों तथा निविदा देने के संबंध में पूर्व-अर्हता की प्रक्रिया खाड़ी युद्ध के बाद नए सिरे से शुरू करनी पड़ी थी । उपर्युक्त (क्र0 सं. 2 से 4) पर उल्लिखित निर्माण प्रस्तावों के संबंध में कार्यवाही विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय, बजट, तकनीकी तथा विधिक क्रियाविधियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र की जा रही है । इन प्रस्तावों पर कार्यवाही से जो समय लगेगा उसके कारण लागत में होने वाली वृद्धि, यदि कोई हो, ज्ञात नहीं है क्योंकि ये निर्माण कार्य संविदाकारों को नहीं दिए गए हैं ।

प्रधान मंत्री की बांग्लादेश की यात्रा

2795. **श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले दो महीनों में प्रधान मंत्री के बांग्लादेश

की यात्रा पर जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान किन-किन विषयों पर बातचीत होगी और समझौते किए जायेंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख) बांगलादेश के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री बांगलादेश की यात्रा कब करेंगे, इस बारे में अभी विचार चल रहा है। अतः इस मौके पर क्या बातचीत होगी और क्या समझते होंगे यह अभी नहीं कहा जा सकता ।

Expenditure on a litigation case in London

2796. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have achieved a unique success in London recently when it had to spent Rs. 2.5 crores to save Rs. 15 lacs in a litigation case;

(b) if so, whether the Ministry of Finance had allowed this;

(c) to what extent the Ministry of Exernal Affairs was allowed to spend such huge amount; and

(d) whether any investigation has been carried out by Government with details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) to (d) Litigation referred to was not entered into by Government. The litigation was initiated by a firm of solicitors in the UK against a Government Department and four public sector undertakings. Every effort was made by the defendants to settle the matter amicably out of Court. In this regard, the Indian High Commission in London extended advice and assistance. When these efforts failed litigation became inevitable, and the case defended by the parties concerned.

Pak resolution of the Human Rights Conference

2797. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Pakistan tabled a resolution at the 53-Nation Human Rights Conference in Geneva;

(b) if so, what was the response of other nations to the resolution on sending a fact finding mission to Kashmir; and

(c) what was the outcome of the Pak resolution?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) Yes, Sir.

(b) Other member States of the UN Commission on Human Rights did not support the Pakistani resolution.

(c) Pakistan unilaterally and unconditionally withdrew the resolution.

Redressal of grievances of foreign companies in Germany

2798. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Indian Embassy in Germany has not been replying to different complaints of some foreign companies in Germany;

(b) whether Government would take appropriate steps to redress the grievances of German companies; and

(c) if so, what are the facts and details thereof?